

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
अनुभाग-1

क्रमांक:- प.10(1)प्रसु/अनु-1/2012

दिनांक:- 22.09.2021

आदेश

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार के समरत विभागों/बोर्ड/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समरत राजकीय दरतावेजों यथा सरकारी वेबसाइटों, ई-मेल, राजकीय स्टेशनरी, कलेण्डर, सरकारी विज्ञापनों एवं विज्ञापन सामग्री, डिजिटल हस्ताक्षर, अ.शा. पत्रों, राज्य परिवहन के राजकीय साधनों, बसों, राज्य की विभिन्न ट्रेनों आदि में 'Gandhi 150 logo' का उपयोग दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 तक ही किया जावे।



(निरंजन आर्य)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर, राजस्थान
- 2 विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समरत माननीय मंत्री/राज्यमंत्री
- 3 उप शासन सचिव, मुख्य सचिव
- 4 रामरत अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- 5 प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउरा, पंडारा रोड, नई दिल्ली
- 6 महानिदेशक, पुलिस राजस्थान
- 7 समरत विभागाध्यक्ष
- 8 समरत संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर
- 9 रामरत निगम/बोर्ड/आयोग
- 10 आयुक्त, सूचना एवं जनरांपर्क विभाग
- 11 रक्षित पत्रावली



(आश्वनी गंगत)
प्रमुख शासन सचिव